दिनांकः—30—03—2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी की ओर से विगत कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और ना ही परिवादी द्वारा प्रस्तुत मामले में कोई पैरवी की जा रही है। परिवादी को पूर्व में कई तिथियों दिनांक 31.10.2023, दिनांक 05.12.2023, दिनांक 05.01.2024, दिनांक 30.01.2024, दिनांक 24.02.2024 एवं दिनांक 18.03.2024 पर न्यायहित में अवसर प्रदान किये गये है, परन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही प्रस्तुत मामले में कोई पैरवी की जा रही है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी की उक्त मामले को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है। तद्नुसार परिवादी का परिवाद, परिवादी द्वारा पैरवी ना किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर (नैनीताल)